निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर, जयपुर(राज॰)

प्रकरण संख्या 38/2020 (राजस्व अपील)

1. ज्यपुर मैट्रो रेल कार्पोरेशन लि॰ जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर।
2. आलोक अग्रवाल पुत्र श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल निवासी आनन्द विहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार जयपुर नामान्तरकरण संख्या 184 दिनांक 09.03.2015 ग्राम बृजलालपुरा तहसील जयपुर ।

उपस्थितः–

1. श्री विवेक असवाल अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 05.12.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बृजलालपुरा तहसील जयपुर के नामान्तरकरण संख्या 184 पर तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये । तहत रिकार्ड तलव किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. अपीलान्ट के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि ग्राम बृजलालपुरा तहसील जयपुर स्थित आलोक अग्रवाल की भूमि खसरा नम्बर 112/156/1 मिन के नये खसरा नम्बर 111/206 की 2580.13 वर्गमीटर भूमि जयपुर मैट्रो रेल परियोजना हेतु जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि॰ के लिये भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 6 सपठित धारा 17 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.05.2021 के द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास योजना जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा अवाप्त की गई है जिसका कब्जा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 11.11.2011 को अपीलार्थी मैट्रो रेल कार्पोरेशन लि॰ को संभलाया गया । अवाप्त भूमि का अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुकदमा नम्बर 1146/10 के अन्तर्गत दिनांक 27.09.2012 को घोषित किया जा चुका है। अवाप्त भूमि का नामान्तकरण जयपुर रेल मेट्रो कार्पोरेशन लि॰ करवाने हेतु तहसीलदार जयपुर को पत्रांक 3028

जिला कलक्टर
जयपुर

दिनांक 18.9.2014 के द्वारा लिखे जाने पर नामान्तरकरण संख्या 184 दिनाक 09.03.2015 द्वारा खसरा नम्बर 111/206 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा जपयुर मेट्रो का हिस्सा 20207/278220 व आलोक अग्रवाल हिस्सा 258013/278220 दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 112/2 मिन 111/6 मिन को छोड दिया गया जो कि गलत है। तहसीलदार जयपुर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पर पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 रिकार्ड के विपरीत अवाप्ति अवार्ड से भिन्न होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है। जिसस दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है । अपीलान्ट द्वारा अपनी भूमि का नवीन रिकार्ड हेतु उक्त भूमि की जमाबन्दी दिनांक 23.06.2020 को निकलवाई जिस पर अपीलान्ट की जानकारी में आया कि उक्त भूमि बाबत तस्दीक नामान्तरकरण 184 भूमि अवाप्ति अवार्ड के विपरीत गलत दर्ज किया गया है। जिस पर अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र ततहसीलदार जयपुर के समक्ष दिनांक 10.07.2022 पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी भूमि में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 184 में अपीलार्थी का दर्ज हिस्सा 20207/278220 गलत है। जिसे दुरस्त कर उसके स्थान पर अपीलान्ट का हिस्सा 2580.13 वर्गमीटर दर्ज किया जावे। तत्पश्चात एक अन्य रिमाण्डर प्रार्थना पत्र बाबत दुरस्ती नामान्तरकरण तहसीलदार को दिनांक 07.08.2020 को लिखा गया जिस पर तहसीलदार ने अपने पत्र कमांक 24.08.2020 को लिखा कि नामान्तरकरण में हुई अशुद्वि को अपील के माध्यम से ही दुरस्त किया जा सकता है जिस पर अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है । चूंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना अपीलार्थी की जानकारी मे तस्दीक किया गया है इसलिए अपीार्थी को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी नही होने से के कारण अपील समयावधि मे प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे विलम्ब अवधि को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्मित किया जाना नितान्त आवश्यक है। विधि का सुव्यवस्थित सिद्वान्त है कि जहां पर विधिक बिन्दू निहित हो वहां पर मियाद के तथ्य पर न्यायालय को सहानुभूति रखनी चाहिये। इस बाबत विभान्न मान्य न्यायालयो के न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2004(1) पेज 374, आरआरटी 2004(1) पेज 338, आरआरटी 2005(1) पेज 228, आरआरटी 2002(1) पेज 649, आरआरटी 2011(2) पेज 1041, आरआरटी 2011(2) पेज 289, आरआरटी 2006–07 पेज 443 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत करने मे हुई विलम्व अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील का मैरिट पर निस्तारण किया जा कर अपील स्वीकार की जावे ।

5. प्रत्यर्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने भी मैट्रों द्वारा अधिग्रहित भूमि के अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने अनुरोध किया है।
6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. सर्वप्रथम हम अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलान्ट की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है किन्तु न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है । अपील का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।
8. ग्राम बृजलाल पुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्ब 112/2, 111/6 तथा 111/156/1 (नये नम्बर 111/206) के सम्मलित क्षेत्रफल 2580.13 वर्ग मीटर भूमि अवाप्त की गई है। जिसके अनुसार अवाप्त भूमि के हिस्सा व नामान्तरकरण में दर्ज भूमि के हिस्से में भिन्नता है। अवाप्ति

जिला कलक्टर
जयपुर

अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

9. राजस्व ग्राम बृजलालपुरा तहसील जयपुर के नामान्तरकण संख्या 184 आदेश दिनांक 09.03.2015 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर तदनुसार नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।
10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा तहसीलदार जयपुर को मय तहत रिकार्ड प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
11. निर्णय आज दिनांक 05.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर